<u>राज्य सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 1103

27 दिसंबर, 2017 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को अनन्य निजी खान का आवंटन

1103. श्री वि. विजयसाई रेड्डीः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) ने गत वित्तीय वर्ष अर्थात् 2015-16 के दौरान बहुत घाटा दर्शाया है;

(ख) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) ने 13 वर्षों में पहली बार घाटा दर्शाया है;

(ग) यदि हां, तो इस घाटे के कारण क्या हैं और मंत्रालय इससे किस प्रकार उबरने की योजना बना रहा है;

(घ) क्या इसका एक मुख्य कारण आरआईएनएल के पास अनन्य निजी खान का न होना है और आरआईएनएल इसकी मांग गत कई वर्षों से करता आ रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो आरआईएनएल को एक खान का आवंटन नहीं करने के क्या कारण हैं?

<u>उत्तर</u>

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री विष्णु देव साय)**

(क) से (ग): आरआईएनएल ने वर्ष 2002-03 से 2014-15 तक लगातार लाभ अर्जित किया है। आरआईएनएल ने वर्ष 2015-16 में 1421 करोड़ रुपये की कर-पश्चात् शुद्ध हानि दर्ज की है। हानियों के प्रमुख कारणों में अन्य के साथ-साथ बाजार में प्रतिकूल परिस्थितियाँ होना, इस्पात उत्पादों की बिक्री से शुद्ध प्राप्तियाँ कम होना, आयातित और घरेलू कोयले की कीमतों में वृद्धि होना तथा वैश्विक इस्पात उद्योग में मंदी आना इत्यादि शामिल है।

इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है तथा सरकार की भूमिका एक सुविधादाता के रूप में होती है। सरकार ने देशीय इस्पात उद्योग को सुरक्षित बनाने के लिए विविध उपचारी उपाय किए हैं जिनमें अन्य के साथ-साथ व्यापारिक उपाय, जैसे कि एंटी डंपिंग शुल्क

लगाना, सेफगार्ड शुल्क लगाना और न्यूनतम आयात कीमतों को अस्थायी रूप से लागू करना शामिल है; गुणवत्ता नियंत्रण आदेश को सूचित किया है, जो सभी इस्पात उत्पादों और आयातों के संबंध में बीआईएस मानकों के उपयोग को अनिवार्य बनाता है; "सरकारी खरीद में घरेलू निर्मित लोहा और इस्पात उत्पादों के उपयोग" की नीति अधिसूचित की है, जो घरेलू मूल्यवर्द्धन को सुविधाजनक बनाती है; तथा घरेलू इस्पात क्षेत्र में दीर्घकालीन विकास को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 को अधिसूचित किया है।

(घ) और (ङ): हानियाँ होने के प्रमुख कारण उपरोक्त (क) से (ग) के उत्तर में स्पष्ट कर दिए गए हैं। आरआईएनएल खानों के आवंटन हेतु कराई गई विभिन्न नीलामियों में भाग लेता रहा है। माइन्स एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेग्यूलेशन) एक्ट, 1957, जोकि माइन्स एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेग्यूलेशन) एमेंडमेंट एक्ट, 2015 द्वारा यथा-संशोधित है, के अनुसार राज्य सरकार को धारा 10ए के अंतर्गत नीलामी की विधि से अथवा अधिनियम की धारा 17ए(2ए) के अंतर्गत आरक्षण विधि से खनन पट्टा प्रदान करने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इसलिए, नए खनन पट्टे का आवंटन संशोधित अधिनियम के प्रावधानों से विनियमित होता है।

***